



2026:AHC:56406

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2113/2026

रामनरेश साहू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अश्विनी कुमार ओझा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0006/2026, धारा 111, 318, 61(2), 352, 351(3), 336(3), 340 बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर में विवेचना/विचारण के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहाई हेतु प्रार्थना सहित दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या फँसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहता है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड शिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (जिसे इसके पश्चात "एलयूसीसी" कहा जाएगा) का एजेंट है।
 - ii. आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है।
 - iii. एलयूसीसी द्वारा परिपक्वता राशियों के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न वादों में फँसाया गया है।
 - iv. आवेदक अन्य सभी वादों में जमानत पर है।
 - v. एलयूसीसी की परिसमापन की कार्यवाही चल रही है और एक बार समापक नियुक्त हो जाने पर, कंपनी के विरुद्ध कोई शिकायत या कंपनी से कोई देय राशि चाहने वाला कोई भी व्यक्ति समापक के समक्ष उपस्थित हो सकता है।
 - vi. यदि कंपनी परिपक्वता राशि का भुगतान करने से इनकार करती है या करने में असमर्थ है, तो आवेदक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
 - vii. आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य में 14 आपराधिक वादों में फँसाया गया है और उक्त सभी वादों में आवेदक सिवाय वर्तमान वाद के जमानत पर है।
 - viii. समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन, जो एलयूसीसी के एजेंट थे, को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 2490/2026 (आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि आवेदक एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने जमाकर्ताओं के साथ अरबों रुपयों की धोखाधड़ी की है, अतः उसे कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, वे आपराधिक इतिहास के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का विवाद नहीं करते हैं।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक एलयूसीसी का एजेंट बताया गया है। एफ.आई.आर. में परिलक्षित आरोपों का सार, जो बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक दीपक एवं 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है, यह है कि सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा एलयूसीसी के पास सावधि जमा और आवर्ती जमा के रूप में कतिपय धनराशियाँ जमा की गई थीं। तथापि, वर्ष 2024 में आवर्ती जमा और सावधि जमा की परिपक्वता तिथि होने के बावजूद उक्त धनराशियाँ वापस नहीं की गईं। आवेदक न तो कंपनी का निदेशक है और न ही उसे कंपनी के कार्यों का प्रभारी बताया गया है। समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन, जो एलयूसीसी के एजेंट थे, को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 2490/2026 (आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था और वह मात्र एक एजेंट है। वह वर्तमान वाद को छोड़कर सभी वादों में जमानत पर है। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आवेदक पर अधिरोपित जमानत की शर्तों के दुरुपयोग का कोई अभिकथन नहीं किया गया है।

8. वाद के सभी सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को, जैसा कि ऊपर चर्चित किया गया है, ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को बी.एन.एस.एस. की धारा 193(3) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट दायर होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

10. आवेदक **रामनरेश साहू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे बी.एन.एस.एस. की धारा 193(3) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट दायर होने तक, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध होना होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष साक्षियों पर दबाव नहीं बनाएगा/धमकी नहीं देगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवलोकन केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए किए गए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

19 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)